

1.16. भारत के लिए सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली {PARTICIPATORY GUARANTEE SYSTEM (PGS)-INDIA (PGS-INDIA)}

उद्देश्य	प्रमुख विशेषताएं
- घरेलू जैविक बाजार संवर्धन को बढ़ावा देने और - लघु व मध्यम किसानों की जैविक उत्पादों के प्रमाणीकरण तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करना।	- यह स्थानीय रूप से प्रासंगिक एक गुणवत्ता आश्वासन पहल है। इसमें उत्पादकों और उपभोक्ताओं सहित हितधारकों की भागीदारी पर बल दिया गया है। - यह प्रमाणन की तृतीय पक्ष प्रणाली (जो जैविक उत्पादों के निर्यात बाजार में प्रवेश करने हेतु एक पूर्वावश्यकता है) के ढांचे से बाहर है। भारत के लिए सहभागिता प्रत्याभूति प्रणाली (PGS-इंडिया) PGS-इंडिया ऑर्गेनिक स्थानीय बाजार में गुणवत्ता आश्वासन प्रमाणपत्र के लिए कृषक समूह द्वारा स्थापित विकेंद्रीकृत प्रणाली उत्पादकों और अन्य हितधारकों की सक्रिय भागीदारी को शामिल किया गया है यह फसल उत्पादन, पशु-उत्पादन, खाद्य-प्रसंस्करण, रस्त्र-रस्त्राव एवं भंडारण आदि के मानकों को भी शामिल करती है। इसमें 562 क्षेत्रीय परिषदें शामिल हैं। क्षेत्रीय परिषद स्थानीय समूहों के प्रमाण-पत्र निर्णय का समन्वय, निगरानी और अनुमोदन करेगी। PGS-India द्वारा प्रमाणित जैविक खाद्य उत्पादों के लेबल पर निम्नलिखित जानकारी अंकित होती है: - FSSAI का लोगो और लाइसेंस नंबर - PGS-India Organic लोगो - एकल निर्माण सामग्री से निर्मित उत्पाद पर PGS- Organic लेबल अंकित होता है - मिश्रित/ प्रसंस्करित उत्पाद पर PGS-Organic (न्यूनतम 95: घटक PGS-Organic हैं) लेबल अंकित होता है। - PGS- समूह का विवरण और उसका विशिष्ट ID-कोड अंकित होता है। - निम्नलिखित घटक जिन पर यह लागू नहीं है: - गैर-कृषि गतिविधियां जैसे परिवहन, भंडारण आदि। - व्यक्तिगत किसान या पांच सदस्यों से कम किसानों के समूह। जिन्हें या तो तीसरे पक्ष के प्रमाणीकरण के विकल्प का चयन करना होगा या मौजूदा PGS स्थानीय समूह में शामिल होना होगा।